

जिला



गजट

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संधारण अंक
12 / 2016

विक्रम संवत्
2073

9(शु) ज्येष्ठ 1938 (शा०)

जमशेदपुर, सोमवार, 13 / 06 / 2016

सहायक खनन पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर द्वारा निकाले गये खनन एवं भूतत्व विभाग का आम सूचना।

विषय सूची

पृष्ठ संख्या

1. जिला खनन विभाग से सम्बंधित आम सूचना।

01-02

झारखण्ड सरकार
खनन एवं भूतत्व विभाग
जिला खनन कार्यालय, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।

आम सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत निम्नलिखि क्षेत्र जिस पर खनन पट्टा धारण किया जाता था, कि अवधी समाप्त हो गई है। फलतः झारखण्ड लधु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 46 के अन्तर्गत यह क्षेत्र पुर्ण बन्दोबस्ती हेतु रिक्त है।

अतः उक्त क्षेत्र में खनन पट्टा की स्वीकृती हेतु इच्छुक व्यक्ति / संस्था जिला गजट में सूचना प्रकाशन के 30 दिनों के पश्चात झारखण्ड लधु खनिज समनुदान नियमावली 2004 के नियम 9 के प्रावधानों के अधीन विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र अधोहस्ताक्षरी के समक्ष सभी वांछित कागजातों के साथ दाखिल कर सकते हैं।

विशेष जानकारी के लिए अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में कार्य अवधि के अन्दर प्राप्त कर सकते हैं।

क्षेत्र का विवरण

SI No	पूर्व पट्टेधारी का नाम एवं पता	अंचल	मौजा	थाना न०	प्लाट न०	रकवा	खनिज
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सर्वश्री एम० के० पात्रा प्रो० श्री अभिजित पात्रा, ग्राम + पो० कालिकापुर जिला पूर्वी सिंहभूम।	पोटका	सोनाडी	1349	98 (P)	5.00 Acres	पत्थर (लधु खनिज)

ह०/-

सहायक खनन पदाधिकारी
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर।
लगातार-2